न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 16/2012

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

वादी	प्रतिवादी
1. पोकर पुत्र रावत	1. हापुडा पुत्र टीकू
जातिया-बावरी, निवासी-पाटवा	जातियान-बावरी,निवासी-पाटवा
तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)	तह0-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजूः. 19.01.2012

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री राजेन्द्रकुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- दिनांकः- 03/07/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-पाटवा, पटवार हल्का-पाटवा, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि जमीन खसरा नम्बर 436/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। जिसमे वादी का 1/2 हिस्सा आया हुआ हैं। वादी अपने 1/2 हिस्से पर शांतिपूर्वक कब्जा करता आ रहा हैं। उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल दावा के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रतिवादी वादी की उक्त कृषि भूमि पर कब्जा करने की धमकी देता है व ऐलानिया कहता है कि उक्त सम्पूर्ण भूमि पर रातबिरात मौका मिलने पर कब्जा कर बरसात होने पर फसल की बुआई कर दूगाँ। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है उक्त जमीन मे वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 हिससा आता हैं। प्रतिवादी लडाकू प्रकृति के व्यक्ति हैं। वादी की अपने हिस्से भूमि पर से कभी कब्जा करने पर उतारू हैं। जबकि प्रतिवादी को कानून हाथ मे लेकर केवल मात्र लाठी के बल पर उक्त सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने व उक्त भूमि के 1/2 हिस्से मे से वादी को बेदखल करने का कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही है। वादी के हिस्से की भूमि के उतर मे मालाराम दक्षिण मे मलाराम पूर्व मे प्रतिवादी पश्चिम मे रास्ता आया हुआ हैं। प्रतिवादी ने वादी को ऐलानिया धमकी दिनांक 27/12/2011 को दी कि वादी को 1/2 हिस्से की भूमि पर रातबिरात कब्जा करके रहूँगा। यदि वादी सामना करेगा, तो वादी को जान से खत्म कर दूँगा जमीन की किमत बढ्ने से प्रतिवादी की नियत खराब हो गई है केवल मात्र लाठी के बल पर वादी की उक्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर उतारू हैं। यदि प्रतिवादी वादी को खातेदारी 1/2 हिस्से की भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लेगा, तो वादी अपने जायज अधिकारों से वंचित रह जायेगा तथा मौके पर खून खच्चर होगा जिससे विविध प्रकार के मुकदर्मे बाजी होगा, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी और वादी को असीम नुक्शान होगा। इसलिये वादी प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं प्रतिवादी केवल मात्र कानून को हाथ में

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

लेकर लाठी के बल पर वादी की 1/2 हिस्से की भूमि पर करना चाहता हैं। ऐसा वादी प्रतिवादी को हरगिज नहीं करने देगा। इसलिए जरिए स्थाई जिषेधाज्ञा से वादी के कब्जा काश्त मे दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को रोका जाना जरूरी हैं। वादी का बिनायदावा दिनांक 27/12/2011 को जब प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर नाजायज कब्जा करने की धमकी देने पर बमुकाम-पाटवा मे पैदा हुआ हैं, जो न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है व वाद अन्दर म्याद पेश किया हैं।

वादी का वाद दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। प्रतिवादी ने वकालतनामा पेश किया, जो सा0मि0 हैं। वकील प्रतिवादी को जबाब पेश करने हेतु कई बार समय दिया गया। प्रतिवादी की ओर से जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। वादी का वाद स्वीकार योग्य हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-पाटवा, पटवार हल्का-पाटवा, तहसील-जैतारण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि जमीन खसरा नम्बर 436/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादी के हिस्से में काश्त करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-पाटवा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :–

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–

वादी	प्रतिवादी
1. पोकर पुत्र रावत	1. हापुड़ा पुत्र टीकू
जातिया–बावरी, निवासी–पाटवा	जातियान–बावरी, निवासी–पाटवा
तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)	तह0–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

<u>राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान</u>
<u>काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

मु0न0 :रा0वा0स0:16/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी। मिनजानिब मुद्दई व श्री राजेन्द्रकुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–पाट्वा, पटवार हल्का–पाट्वा, तहसील–जैतारण में वादी व प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि जमीन खसरा नम्बर 436/1 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम में वादी के हिस्से में काश्त करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक.....–....बाबत.....–....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....–.. ...फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	01 – 00	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		गुत्फरिक	
मिजानः–	05 – 00	मिजानः–	01 – 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner